न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.-472/2026
मंजीत कुमार बनाम बिहार सरकार
[गोरेयाकोठी थाना कांड सं0 36/2026]
आदेश

17.06.2026 आवेदक/अभियुक्त **मंजीत कुमार पे0 दामोदर महतो** जो इस मामले में दिनांक **09.02.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में है, की ओर से दाखिल जमानत आवेदन सं0 472/2026, गोरयाकोठी थाना कांड सं0 36/2026, अंतर्गत धारा–310(5), 317(4) भारतीय न्याय संहिता एवं 25(1–बी)ए, 35 आयुध अधिनियम पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता श्री अमित कुमार सिंह एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन है कि दिनांक 09.02.2026 को समय करीब 12:45 बजे कांड संख्या 28/2026 में पकड़ाए अप्रा0 अभि0 अब्दुल आलम द्वारा दिए गए स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए समय 13:00 बजे पु0अ0नि0 चंदन कुमार सिंह परि0पु0अ0नि0 ह्रदेश कुमार पंडित, गृहरक्षक 211701 कमलेश्वर प्रसाद एवं गृहरक्षक 5862 महेश कुमार एवं स्थानीय चौकीदार 1/18 सुदामा राउत के साथ जामो बाजार थाना सशस्त्र बल को साथ लेकर लद्धि बाजार के लिए प्रस्थान किए। समय करीब 13:45 बजे लद्धि पोखरा के पास पहुंचे तो देखे कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है। पुलिस गाड़ी को देखते ही स्कॉर्पियो में सवार लोग भागने लगे। संदेह के आधार पर बल के सहयोग से खदेड़ कर पकड़ने का प्रयास किया। सड़क पर भीड़भाड़ रहने के कारण पांच व्यक्ति भागने में सफल रहे और गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति पकड़ा गया। पकड़ाए व्यक्ति से नाम पता पूछने पर वह अपना नाम मंजीत कुमार बताया और भागने वाले व्यक्ति का नाम पियूष कुमार, बिरयानी दुकान वाला विकाश, मोनू कुमार, राहुल कुमार एवं अनीश कुमार बताया। पकड़ाए व्यक्ति से कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि हम लोग गाड़ी में बैठ कर अपराध की योजना बना रहे थे। पुलिस को देखकर अन्य लोग भाग गए। पुलिस की इस कार्रवाई को देखकर आसपास के लोग इक्टठा हो गए। इक्टठा लोगों में से दो व्यक्ति को जमा तलाशी का साक्षी बनने का अनुरोध किए तो अपराधियों के भय से कोई व्यक्ति साक्षी बनने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसी परिस्थिति में साथ के गृहरक्षक 211701 कमलेश्वर प्रसाद एवं चौकीदार 1/18 सुदामा राउत का अपना तलाशी देते एवं तलाशी लेते हुए पकड़ाए स्कॉर्पियो में बैठे व्यक्ति मंजीत कुमार का तलाशी लेना प्रारंभ किए तो कमर के बाएं भाग में खोसा हुआ एक अद्द पुराना देशी पिस्टल तथा पहने हुए पैंट के पॉकेट से एक जोड़ा चांदी जैसा पायल और गाड़ी के अंदर पीछे छुपा कर रखा गए गैस सिलेण्डर बरामद हुआ, दो पिलास, एक हथियार जैसा दिखने वाला गैस लाईटर बरामद सामानों के कागजात की मांग करने पर कोई वैध

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.-472/2026
मंजीत कुमार बनाम बिहार सरकार
[गोरेयाकोठी थाना कांड सं0 36/2026]

17.06.2026

लगातार कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके बाद बरामद सामानों को जप्ती सूची तैयार कर जप्त किया तथा पकड़ाए व्यक्ति को उन्हें उनका आरोप बताते हुए विधिवत गिरफ्तार किए। उपस्थित साक्षियों द्वारा पढ़कर स्वेच्छा से अपना–अपना हस्ताक्षर बना दिए। जप्ती सूची की एक प्रति गिरफ्तार अभियुक्त को हस्तगत कराया तथा गिरफ्तारी की सूचना इनके परिजनों को दिया गया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक की ओर से पूर्व में न ही कोई अग्रिम जमानत आवेदन और न ही जमानत आवेदन माननीय उच्च न्यायालय पटना में या इस न्यायालय में दाखिल किया गया है। आवेदक के खिलाफ पूर्व से आपराधिक मामले पंजीकृत है। आवेदक के पास से किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक वस्तु को बरामद नहीं किया गया है। आवेदक इस मामले में दिनांक 09.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः आवेदक को जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी गोरयाकोठी थाना कांड सं0 36/2026, अंतर्गत धारा–310(5), 317(4) भारतीय न्याय संहिता एवं 25(1–बी)ए, 35 आयुध अधिनियम में पंजीकृत कराई गई है। आवेदक के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर अपराध की योजना बनाने का आरोप लगाया गया है। आवेदक के पास से एक देशी पिस्टल बरामद होने की बात है। जमानत आवेदन के अनुसार आवेदक के खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित है। अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक दिनांक 09.02.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत मामले में आवेदक के विरूद्ध लगाए गए आरोप को सत्य पाते हुए अनुसंधानकर्त्ता द्वारा अंतर्गत धारा–310(5), 317(4) भारतीय न्याय संहिता एवं 25(1–बी)ए, 35 आयुध अधिनियम के तहत आरोप पत्र समर्पित कर दिया गया है। आवेदक द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं उसके न्यायिक अभिरक्षा की अवधि एवं उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदक/अभियुक्त **मंजीत कुमार** को मो0 10,000/– रूपए के बंधपत्र एवं उतने ही राशि के दो–दो प्रतिभुओं

न्यायालय– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
B.P. No.-472/2026
मंजीत कुमार बनाम बिहार सरकार
[गोरेयाकोठी थाना कांड सं0 36/2026]

17.06.2026

लगातार वाले बन्ध पत्र निष्पादित किए जाने पर संबंधित न्यायालय के संतुष्टि पर इस शर्त के साथ जमानत पर मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि एक जमानतदार अभियुक्त का निकट संबंधी होगा जो इस बात का अंडरटेकिंग देगा कि यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं तो वह इसकी सूचना अविलंब विद्वान विचारण न्यायालय को देगा। यदि आवेदक समान प्रकृति का अपराध कारित करते हैं और विचारण के क्रम में लगातार दो तिथियों पर बिना युक्ति–युक्त कारण के अनुपस्थित रहते हैं तो विद्वान विचारण न्यायालय को आवेदक/अभियुक्त के बंधपत्र को निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी। **साथ ही आवेदक का बंधपत्र आरोप गठन के पश्चात् स्वीकार किया जाएगा।**

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 17.06.2026

Date of Order/Judgment	17.06.2026
Date of Reserving Order/Judgment	17.06.2026
Uploading Date	23.06.2026
Uploaded By	RAVI KANT